न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कि0रेनवाल, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी – सर्वेश शर्मा R.A.S.

प्रार्थना पत्र संख्या :– 79/2022 पुराना , 265/2023नया दायर तारीख :– 09.12.22

1. लक्ष्मीनारायण पुत्र दयालराम जाति जाट निवासी बीरमपुरा तहसील कि0 रेनवाल

—— प्रार्थी

बनाम

1. छीतर पुत्र भूरा
2. पेमा पुत्र भूरा
3. अर्जुनराम पुत्र हनुमान
4. अर्जुनलाल पूनिया पुत्र हनुमान
5. ग्यारसी देवी पत्नी हनुमान
6. दानाराम पुत्र हनुमान
7. दानाराम पूनिया पुत्र हनुमान
8. हेमराज पूनिया पुत्र हनुमान
9. हेमाराम पुत्र हनुमान
10. हीरालाल पुत्र हनुमान
11. हीरालाल पूनिया पुत्र हनुमान
12. गोपाल लाल पुत्र नोलाराम
13. नारायण देवी पत्नी बोदूराम
14. रूपाराम पुत्र किशनाराम
15. रितेन्द्र पुत्र श्रवण
16. हरिप्रसाद पुत्र नोलाराम

    समस्त जाति जाट निवासी बीरमपुरा तहसील कि0 रेनवाल जिला जयपुर
17. तहसीलदार तहसील कि0रेनवाल जिला जयपुर राज0

—— अप्रार्थी

उपस्थित : श्री रामसिंह, अधिवक्ता प्रार्थी
श्री लोकेश कुमार शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1,12,13,14,15,16
श्री भवरसिंह लखावत अप्रार्थी संख्या 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
राज पेरोकार

प्रार्थना पत्र बाबत अन्तर्गत धारा 128 एल0आर0 एक्ट

निर्णय

निर्णय दिनांक : 15/10/25

1. प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी की कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 286/5 रकबा 3.2624 हैक्टैयर वाके ग्राम बीरमपुरा प0ह0 मूण्डियागढ भू0अ0नि0. मुण्डियागढ तहसील कि0 रेनवाल जिला जयपुर राज0 में स्थित है। उक्त आराजी प्रार्थी की खातेदारी में अंकित है इस प्रकार उक्त आराजी प्रार्थी के कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी है जिस पर काबिज होकर प्रार्थी उक्त आराजी का उपयोग व उपभोग करता आ रहा है। प्रार्थी की आराजी खसरा नम्बर 286/5 के नजदीक खातेदारान अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 16 की आराजी खसरा नम्बर 286/4,425/286,280,286/6 है तथा अप्रार्थीगण संख्या 01 ल0 16 आयेदिन प्रार्थीगण से सीमा सम्बन्धी विवाद उत्पन्न कर झगडा फिसांद कर आमादा रहे है तथा आराजी की सीमा संबंधी अनावश्यक विवाद उत्पन्न कर रखा है। प्रार्थीगण ने अपनी खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 286/5 की सीमाज्ञान करवाने हेतु नियमानुसार अप्रार्थी संख्या 17 के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर अप्रार्थी संख्या 17 ने

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ रेनवाल

हल्का पटवारी को आदेश क्रमांक भू0अा0/2022/2571 दिनांक 02.05.2022 को प्रार्थी की आराजी का सीमाज्ञान करने का आदेश हल्का पटवारी को प्रदान किया जिस पर हल्का पटवारी ने दिनांक 31.05.2022 को मौके पर जाकर प्रार्थी की आराजी खसरा नम्बर 286/5 का सीमाज्ञान कर रिपोर्ट तैयार की गई। हल्का पटवारी मुंडियागढ ने प्रार्थी की उक्त आराजी का सीमाज्ञान कर उपरोक्त रिपोर्ट तैयार कर अप्रार्थी संख्या 17 के कार्यालय में प्रस्तुत की जिसके पश्चात भी प्रार्थी की आराजी की सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न हो रखा है इस कारण प्रार्थी मुताबिक फर्द रिपोर्ट हल्का पटवारी दिनांक 31.05.2022 के अनुसार प्रार्थी अपनी उक्त आराजी के पत्थरगढी करवाकर उसके आधार पर तारबन्दी करवाना चाहते है जिससे प्रार्थी के कब्जे काश्त में कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं हो सके और सीमा सम्बन्धित कोई विवाद भविष्य में उत्पन्न नहीं हो। इस सम्बन्ध में प्रार्थी ने उक्त रिपोर्ट के आधार पर अप्रार्थी संख्या 17 के समक्ष जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया जिस पर अप्रार्थी संख्या 17 ने सक्षम न्यायालय से आदेश लाने हेतु कहा जिस पर प्रार्थी ने अप्रार्थी के कार्यालय से सीमाज्ञान की रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 13.06.2022 को प्राप्त की इसलिए प्रार्थी को अपनी उक्त आराजी की पत्थरगढी करवाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है।

2. प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज पंजिका किया गया। अप्रार्थी संख्या 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, की ओर वकील भवर सिंह लखावत उपस्थित हुये तथा काफी अवसर दिये जाने बावजूद जवाब पेश नहीं किया अतः इनका जवाब बन्द किया जाता है। अप्रार्थी संख्या 1,12,13,14,15,16 की ओर से वकील लोकेश शर्मा ने उपस्थित हुये तथा जवाब पेश किया। जवाब में अंकित किया कि खसरा नम्बर 286/2 व 284 व 283 की आराजी भी उक्त आराजीयात से लगती हुई है। प्रार्थीगण द्वारा खसरा नम्बर 286/2,284, 283 के खातेदारन को प्रार्थना पत्र में पक्षकार कायम नहीं किया है जिसके आधार पर प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। आराजी खसरा नम्बर 286/5 का सीमाज्ञान मिन अप्रार्थीगण की उपस्थिति में नहीं किया गया है। खसरा नम्बर 286/5 जो कि मूल खसरा नम्बर 286 से बना हुआ है जब तक खसरा नमबर 286 से बने हुये समस्त खसरा नम्बरांन का सीमाकंन नहीं किया जाता है तब तक उक्त खसरा नम्बरान की सही सीमा का निर्धारण किया जाना असंभव है। परन्तु पटवार हल्का द्वारा मात्र खसरा नम्बर 286/5 का ही सीमाकंन किये जाने का अंकन अपनी मौका रिपोर्ट मे प्रस्तुत किया है जिसके आधार पर पत्थरगढी का आदेश विधि अनुसार पारित नहीं किया जा सकता है तथा अपने जवाब के अतिरिक्त कथन में अंकित किया की विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। खसरा नम्बर 286/5 में एक कुआं निर्मित है जो पक्षकारान के आपसी सहमति के अनुसार अप्रार्थी संख्या 1 के हिस्से में आयी हुई है। जिसक उपयोग व उपभोग वह करता आ रहा है

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ रेनवाल

प्रार्थी उक्त कुए की हडप किये जाने की नियत से कतई गलत तथ्यों के आधार पर पेश किया है। खसरा नम्बर 286/5 के पूर्वी दिशा से लगता हुआ पक्षकारों के आवागमन हेतु मौके पर रास्ता बना हुआ है जिससे पक्षकारान अपने अपने हिस्से की आराजीयात पर आवगमन करते है प्रार्थी उक्त रास्ते को बन्द करना चाहता है एव रास्ते की बन्द करने की नियत से प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। अप्रार्थी सं0 17 तहसीलदार कि0 रेनवाल की ओर से जवाब जरिये पत्रांक 5190 दिनांक 28.10.2024 के द्वारा पेश हुआ जिसमें कोई आपत्ति पेश नहीं की तथा जवाब के मद नम्बर 3 में अंकित किया गया है ग्राम बिरमपुरा के आराजी खसरा नम्बर 286/5 का सीमाज्ञान दिनांक 31.05.2022 को करवाया गया है।

3. प्रार्थी ने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबन्दी, नकल नक्शा , नकल फर्द सीमाज्ञान दिनांक 31.05.2022 आदि पेश किये।

4. उपस्थित उभय पक्षकारान अधिवक्ता की बहस सुनी गई । प्रार्थी अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना पत्र के कथनो को दोहराते हुए मुताबिक सीमाज्ञान रिपोर्ट 31.05.2022 के अनुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार कर पत्थरगढी के आदेश किये जाने हेतु निवेदन किया है। अप्रार्थी अधिवक्ता ने अपने जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थी का प्रार्थना खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया ।

5. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो, विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया एवं बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। प्रार्थी ने अपनी आराजी की पत्थर गढ़ी बाबत यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है अप्रार्थीगण के द्वारा जो आपत्ति पेश की गई है। उनके संदर्भ में कोई दस्तावेज पेश नहीं किये ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण के द्वारा आपत्ति खारिज की जाती है। प्रार्थी ने अपनी आराजी का दिनांक 31.05.2022 को नियमानुसार सीमाज्ञान करवा रखा है जिसकी फर्द मौका सीमाज्ञान पत्रावली में संलग्न है तथा प्रार्थी को अपनी आराजीयात की मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढ़ी करवाये जाने का वैधानिक अधिकार प्राप्त है। ऐसी स्थिति में न्यायालय मुताबिक सीमाज्ञान प्रार्थी की आराजी की पत्थरगढ़ी की जाना न्यायोचित समझता है।

6. प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के अभिकथनों को सुसंगत दस्तावेजी साक्ष्यों से बखूबी साबित किया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू0राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की आराजी ख0नं0 286/5 रकबा 3.2624 हैक्टेयर, वाकै ग्राम बीरमपुरा पटवार हल्का मुण्डियागढ तहसील कि0रेनवाल जिला जयपुर राज0 की मुताबिक सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 31.05.2022 के अनुसार तहसीलदार किशनगढ रेनवाल आदेशित किया जाता है कि :—

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ रेनवाल

01. प्रार्थी की उपरोक्त वर्णित खातेदारी कृषि भूमि की फीस पत्थरगढी प्रार्थी से प्राप्त कर राजकोष में जमा करवाये।
02. तहसीलदार तहसील कि0 रेनवाल को आदेशित किया जाता है कि पत्थरगढी की कार्यवाही से पूर्व पडोसी खातेदारान को विधिवत सूचित किया जाकर उभयपक्षकारान की उपस्थिति में विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए पत्थरगढी की कार्यवाही सम्पादित करे।
03. राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक 13(28) राज ग्रुप–1/92 जयपुर दिनांक 07.08.1992 के आदेशानुसार खडी फसल एंव वर्षाकाल के समय पश्चात अनुमत समय मे पालना सुनिश्चित की जावे।
04. तहसील कि0 रेनवाल को आदेशित किया जाता है कि पत्थरगढी के माध्यम से एक पक्ष से दूसरे पक्ष को किसी तरह का कब्जा हस्तातंरण नहीं करे।
05. यदि मौके पर कब्जा संबंधी विवाद है तो इस आदेश के माध्यम से किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं करे। कब्जा संबंधी मामलों में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में पृथक से प्रावधान है उस प्रक्रिया के माध्यम से ही अनुतोष प्राप्त किया जा सकता है।

निर्णय आज दिनांक 15/10/25 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

सर्वेश शर्मा (आर0ए0स0)
उपखण्ड अधिकारी
कि0 रेनवाल